रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265356
CG-DL-E-12082025-265356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 555] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/18-जुर्माना-टी4एसपंजीकरण./(9)/2024/(ई-5488)/10.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभण:**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2016 में, -

(a) मौजूदा विनियम 8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“

(1) इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्थापित व्यापक प्रणाली होगी, जिसमें रूपरेखा, पूर्व-निर्माण, निर्माण, शुरुआत और संचालन के चरणों के दौरान तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट का संचालन शामिल होगा साथ ही साथ समय-समय पर निर्दिष्ट सतत आधार पर भी होगा। किसी भी नियोजित परियोजना का विवरण विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर), लेआउट, पीईएसओ अनुमोदन और पर्यावरणीय मंजूरी आदि सहित, जो भी लागू हो, निर्माण शुरू करने से कम से कम एक महीने पूर्व बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) 'बोर्ड' सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के अनुपालन की निगरानी प्रत्यक्ष या किसी मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष के माध्यम से तीसरे पक्ष के अनुरूपता मूल्यांकन पर अलग विनियमों के माध्यम से करेगा।

(3) इन विनियमों के अंतर्गत किसी चूक या विचलन या कमी की स्थिति में, प्राधिकृत इकाई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना), विनियम, 2010 के विनियम 16 के अंतर्गत अधिकृत इकाई चूककर्ता ईकाई के रूप में अर्हता प्राप्त करेगी।

(4) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, जब तक बोर्ड द्वारा प्राधिकरण प्रदान नहीं किया जाता है या समर्पित पाइपलाइन के लिए, किसी भी चूक या विचलन या कमी की स्थिति में, इकाई पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 28 के अनुसार नागरिक दंड लगाने और/या निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार संचालन के निलंबन/समाप्ति का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगी:

(क) बोर्ड इकाई को एक अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें उसे विनियमों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए एक उचित समय अवधि दी जाएगी;

(ख) यदि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर बोर्ड की संतुष्टि के लिए इकाई द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(ग) यदि इकाई ऐसी समयावधि के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो बोर्ड ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि इकाई पर लगने वाले किसी अन्य दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी इकाई को सिविल दंड के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करना होगा, जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी तथा लगातार विफलता की स्थिति में, अतिरिक्त दंड जो प्रतिदिन दस लाख रुपये तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि बोर्ड उचित समझे, तो उक्त इकाई के संचालन को निलंबित या समाप्त करने का निर्देश दे सकता है।

(घ) यदि इकाई खंड (ग) में दिए गए अनुसार बोर्ड द्वारा पारित निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो बोर्ड अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत अपराधों और दंड के लिए निर्धारित उचित कार्रवाई कर सकता है।

(5) उप-विनियम (3) या उप-विनियम (4) में निहित प्रक्रिया के बावजूद, ऐसे मामलों में:

(i) जिसमे इकाई की ओर से उल्लंघन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आसन्न जोखिम उत्पन्न करता है या

(ii) जिसमे बोर्ड सार्वजनिक हित में या राज्य सुरक्षा के हित में यह निर्धारित करता है कि ऐसा करना आवश्यक है,

'बोर्ड' इकाई को तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता के अलावा, उक्त इकाई के परिचालन को तत्काल निलंबित करने का निर्देश भी दे सकता है तथा ऐसे मामलों में, बोर्ड द्वारा इकाई की सुनवाई का अवसर स्थगित किया जा सकता है और बाद में प्रदान किया जा सकता है।

ध्यान दें 1: नियोजित परियोजनाओं में सभी ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शामिल होंगी और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के मामले में, भंडारण, हैंडलिंग या प्रसंस्करण क्षमता में कोई वृद्धि, जनशक्ति में वृद्धि या किसी भी स्थापना/सुविधा के जोखिम स्तर में वृद्धि शामिल होगी।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./288/2025-26]

पाद टिप्पणी :

1. मुख्य विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 16 फरवरी 2016 को जीएसआर इंफ्रा/टी4एस/पीएंडपीपीपीएल/01/2014 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 5 जनवरी 2018 को फा. सं. इन्फ्रा/पीएनजीआरबी/टी4एस/पीएंडपीपीपीएल/04/2016 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2025

F. No. PNGRB/Tech/18-penalty-T4SReg./(9)/2024/(E-5488)/10.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following Regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2016, namely:—

1. **Short title and commencement**:

   (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Amendment Regulations, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2016, -

   (a) existing Regulation 8, shall be substituted as under:

   "

   (1) There shall be an established comprehensive system to ensure compliance with the provisions of these regulations, encompassing the conduct of technical and safety audits throughout the stages of design, pre-construction, construction, commissioning, and operation, and also on an ongoing basis, as periodically specified. Details of any planned project along with Detailed Feasibility Report (DFR), layout, PESO approval and Environmental Clearance etc. as may be applicable, shall be submitted to Board at least one month prior to commencing the construction.

   (2) The Board shall monitor the compliance with Technical Standards and Specifications, including Safety Standards, either directly or through an accredited third party via separate regulations on third-party conformity assessment.

   (3) In the event of any default or deviation or shortfall under these Regulations, the authorized entity shall qualify as defaulting entity under the regulation 16 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines), Regulations, 2010.

   (4) For the purpose of these Regulations, until authorization is granted by the Board or for dedicated pipeline, in event of any default or deviation or shortfall, the entity shall be liable to face the imposition of civil penalty as per Section 28 of the PNGRB Act, 2006 and/or suspension/termination of operation, as per following procedure:

   (a) The Board shall issue a notice to the entity, allowing it a reasonable time period to fulfil its obligations under the regulations;

   (b) No punitive action shall be taken in case remedial action is taken by the entity, to the satisfaction of the Board, within the time period specified by the Board;

(c) In case the entity fails to undertake remedial action within such time period, the Board may, after giving such entity an opportunity of being heard, by order in writing, direct that, without prejudice to any other penalty which the entity may be liable for, such entity shall pay, by way of civil penalty, an amount which shall not exceed one crore rupees for each contravention, and in case of a continuing failure, additional penalty which may extend to ten lakh rupees for every day. In addition, the Board, if it deems appropriate, may direct for suspension or termination of operations of the said entity.

(d) If the entity fails to comply with the directions passed by the Board, as provided in clause (c), the Board may take appropriate action as prescribed for offences and punishment under Chapter IX of the Act.

(5) Notwithstanding the procedure contained in sub-regulation (3) or sub-regulation (4), in cases:

(i) where the violation on the part of the entity poses an imminent danger to public safety or

(ii) where the Board determines, in public interest or in the interest of State security, that it is so required,

the Board may, apart from requiring the entity to take immediate remedial action, also direct for immediate suspension of operations of the said entity and in such cases, an opportunity of being heard may be deferred and afforded subsequently to the entity by the Board.

Note 1: Planned projects shall include all greenfield projects and, in the case of brownfield projects, shall encompass any addition to storage, handling, or processing capacity, increase in manpower, or increase in risk level of any installation/facility.

”

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./288/2025-26]

Foot Note:

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4, on 16th February 2016, vide G.S.R. Infra/T4S/P&PPPL/01/2014.
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications for Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Amendment Regulations, 2017, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4, on 5th January 2018, vide F. No. INFRA/PNGRB/T4S/P&PPPL/04/2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.12 15:09:23 +05'30'